न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 389 सन 2022

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र मुखराम उर्फ मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. पूनम उर्फ सुनिता पुत्री मुखराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/07/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 484/503 की कुल 10.7620हैक भूमि में वादी 1/66 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/132 हिस्सा व खाता संख्या 742/745 की कुल 6.7330हैक में वादी का 2/33 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/33 हिसस व रोही मौजा ढाणीलाल खां के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880हैक में वादी का 11/3288 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 11/3288 हिस्सा तथा रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910हैक में से वादी का 101/49955 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 101/49955 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज मुखराम उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज थी मुखराम उर्फ मनीराम एव उसकी पत्नी के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं मुखराम उर्फ मनीराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बहन है के नाम से दर्ज भूमि को वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता मुखराम उर्फ मनीराम के देहान्त होने पर विरास्तन से प्राप्त हुई है वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाई वादी के पक्ष में त्याग किया हुआ है

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 484/503 की कुल 10.7620हैक भूमि में वादी 1/66 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/132 हिस्सा व खाता संख्या 742/745 की कुल 6.7330हैक में वादी का 2/33 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/33 हिसस व रोही मौजा ढाणीलाल खां के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880हैक में वादी का 11/3288 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 11/3288 हिस्सा तथा रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910हैक में से वादी का 101/49955 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 101/49955 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वाद भूमि पूर्व में वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज मुखराम उर्फ मनीराम के नाम से दर्ज थी मुखराम उर्फ मनीराम एव उसकी पत्नी के देहान्त होने पर विरास्तन से वाद भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में मुश्तरका खाते में दर्ज हुई है।

प्रतिवादी संख्या 1 वादी की बहने है एवं मुखराम उर्फ मनीराम की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 1 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 484/503 की कुल 10.7620हैक भूमि में वादी 1/66 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 का 1/132 हिस्सा व खाता संख्या 742/745 की कुल 6.7330हैक में वादी का 2/33 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 1 का 1/33 हिसस व रोही मौजा ढाणीलाल खां के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880हैक में वादी का 11/3288 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 11/3288 हिस्सा तथा रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910हैक में से वादी का 101/49955 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 101/49955 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वाद भूमि विरास्तन से वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई जो आपस में भाई बहन है प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी की बहन है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है वादी के कथनो का प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया जा चुका है कि वाद भूमि वादी के हक

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प ड्यूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 484/503 की कुल 10.7620हैक भूमि में, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/132 हिस्सा व खाता संख्या 742/745 की कुल 6.7330हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/33 हिस्सा व रोही मौजा ढाणीलाल खां के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 11/3288 हिस्सा तथा रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 101/49955 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/07/2012 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. पवन कुमार पुत्र मुखराम उर्फ मनीराम जाति जाट निवासी देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 पूनम उर्फ सुनिता पुत्री मुखराम उर्फ मनीराम जाति जाट साकिन देईदास तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 389 सन 2022 निर्णय दिनांक– 06/07/2022,

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा भूकरका के खाता संख्या 484/503 की कुल 10.7620हैक भूमि में, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/132 हिस्सा व खाता संख्या 742/745 की कुल 6.7330हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/33 हिस्सा व रोही मौजा ढाणीलाल खां के खाता संख्या 127/126 की कुल 3.2880हैक में प्रतिवादी संख्या 1 का 11/3288 हिस्सा तथा रोही मौजा देईदास के खाता संख्या 37/37 की कुल 9.9910हैक में से प्रतिवादी संख्या 1 का 101/49955 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रतिवादी संख्या 1 के नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 1000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with OKEN Scanner